# आदेश

संख्या–526 / इक्कीस–1(1) / वि0सहा0 / 2019–20–उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम,1961(यथासंशोधित) की धारा 239(1) एवं 239(2)के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये जिला पंचायत,आगरा ने जिला–आगरा के ग्रामीण क्षेत्र में बनने वाले व्यवसायिक भवनों के निर्माण कार्य को नियंत्रित करने विषयक उपविधियाँ के अन्तर्गत कार्यालय में मै0 उत्तम वेन्चर्स प्राईवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड पता–पी0नं0–133 शॉप नं0–02 व 03 द्वितीय तल फेन्डस शॉप हरीपर्वत क्रासिंग, आगरा द्वारा अधिकृत निदेशक श्री संजीव कुमार सिंह पुत्र श्री उत्तम सिंह निवासी–74 कालिंदी पुरम मऊ रोड,आगरा 282005 ने दिनांक 04.10.2024 को प्रार्थना पत्र के द्वारा आवेदन किया गया है। कार्यालय जिला पंचायत,आगरा के पत्रांक–3854 / अनुभाग–02(2602) / मानचित्र / वर्ष 2024–25 दिनांक–18.12.2024 का अवलोकन करना चाहे, जिसमें खाता संख्या–1043 गाटा संख्या 2402 / रकवा 10096.40 वर्गमीटर में से 10030.40 वर्गमीटर पता मौजा रायभा तहसील किरावली,आगरा पर स्थित मै0 उत्तम वेन्चर्स प्राईवेट लिमिटेड द्वारा संचालित''सुमन एन्क्लेव'' का ले–आउट प्लान कार्यालय जिला पंचायत,आगरा से स्वीकृत कराने के सम्बन्ध में शुल्क रू0 1,98,606.00 को जिलानिधि, जिला पंचायत, आगरा के पक्ष में दिये जाने की मांग की गई थी। फलस्वरूप आप द्वारा दिनांक–21.12.2024 को रू0 1,98,606.00 (शब्देन एक लाख अठानवे हजार छः सौ छः रूपये मात्र) की धनराशि को रसीद संख्या–0397296 के द्वारा जिला पंचायत के पक्ष में जमा कर दिये गये है।

ग्राम्य क्षेत्र से तात्पर्य जिले में स्थित प्रत्येक नगर पंचायत,नगर पालिका परिषद, छावनी तथा नगर निगम क्षेत्रों के अतिरिक्त उस क्षेत्र को हटाते हुए जो कि किसी विकास प्राधिकरण या यू0पी0एस0 आई0डी0सी0 के द्वारा अधिग्रहीत किया गया हो एवं जिसके अधिग्रहण की सूचना पूर्ण विवरण सहित यथा ग्राम का नाम, गाटा / खसरा संख्या, अधिग्रहीत क्षेत्रफल आदि गजट में प्रकाशित की जा चुकी हो, में नहीं है,और किसी निजी भूमि पर, संस्था की भूमि पर अथवा किराये की भूमि पर जिला पंचायत,आगरा से पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना न तो व्यवसायिक भवन निर्माण कर सकता है,और न ही पुराने भवन में फेर–बदल कर सकता है। प्रस्तावित ले–आउट प्लान निम्नवत् शर्तो / प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृत किया जाता है।

1. ले–आउट प्लान की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि सिलिंग / भू–अर्जन / नजूल / ग्राम समाज सहित भू–स्वामित्व मामलों में यदि कोई विवाद अथवा अन्य वाद विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की स्वयं की होगी तथा स्वीकृत ले–आउट प्लान स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।
2. संकटमय भवन का निर्माण नहीं होगा, जिसके अन्तर्गत भवन या भवन के वह भाग सम्मिलित होंगे जिनमें अत्यधिक ज्वलनशील या विस्फोटक सामग्री या उत्पाद का संग्रहण, वितरण, उत्पादन या प्रक्रम (प्रोसेसिंग) का कार्य होता हो या जो अत्याधिक ज्वलनशील हो या जो ज्वलनशील भाप या विस्फोटक पैदा करता हो या जो अत्यधिक कारोसिव, जहरीली या खतरनाक क्षार, तेजाब हो या अन्य द्रव्य पदार्थ, रासायनिक पदार्थ जिनमें ज्वाला,भाप पैदा होती हो, विस्फोटक जहरीले इरीटेन्ट या कारोसिव गैसें पैदा होती हो, या जिनमें धूल के विस्फोटक मिश्रण पैदा करने वाली सामग्री या जिनके परिणाम स्वरूप ठोस पदार्थ छोटे–2 कणों में विभाजित हो जाता हो और जिनमें तत्काल ज्वलन प्रकिया प्रारम्भ हो जाती हो, के संग्रहण वितरण, उत्पादन या प्रक्रम (प्रोसेसिंग) के लिए प्रयुक्त किया जाता हो।
3. आवेदक के द्वारा प्रस्तुत बैनामा के अनुसार खाता संख्या–1043 गाटा संख्या–2402 मौजा रायभा तहसील किरावली,आगरा का कुल क्षेत्रफल 11450.00 वर्गमीटर है, परन्तु आवेदक के द्वारा प्रस्तुत ले–आउट प्लान के अनुसार रकवा 10096.40वर्गमीटर में से 10030.40वर्गमीटर पर सुमन एन्कलेव का ले–आउट प्लान कार्यालय जिला पंचायत,आगरा से स्वीकृत कराये जाने हेतु आवेदन किया गया है एवं आवेदक के द्वारा प्रस्तुत ले–आउट प्लान में रोड़ वाईडनिंग हेतु 301.30वर्गमीटर भूमि छोडी गई है। इस प्रकार सुमन एन्कलेव का ले–आउट स्वीकृत कराये जाने हेतु प्रस्तावित भूमि का कुल रकवा 9729.10 वर्गमीटर है।
4. ले–आउट प्लान जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत कराया गया है, केवल उसी प्रयोग में लाया जायेगा।
5. स्वीकृत ले–आउट प्लान सदैव निर्माण स्थल पर ही रखना होगा ताकि मौके पर निरीक्षण करते समय अभियन्ता / अवर अभियन्ता, जिला पंचायत द्वारा जांच की जा सके।

6. कार्य स्थल पर होने वाले कार्यों को जिला पंचायत द्वारा दिये गये दिशा–निर्देशानुसार कराया जाएगा तथा प्रत्येक माह के तृतीय सप्ताह में जिला पंचायत के अधिकारी से समय निर्धारित कर कार्यों का निरीक्षण कराना सुनिश्चित करेंगे।

7. **भवन निर्माण/विकास** कार्य समाप्त होने के उपरान्त समपूर्ति प्रमाण–पत्र जिला पंचायत से नियमानुसार **प्राप्त करने के पश्चात ही** भवन/विकसित क्षेत्र को उपयोग में लाया जायेगा।

8. **यदि स्वीकृति के नवीनीकरण** का आवेदन, अनुज्ञा अवधि समाप्ति से पूर्व किया जाता है तो स्वीकृति के नवीनीकरण की दरें मूल दरों की 10 प्रतिशत होंगी। एक बार में अनुज्ञा की अवधि एक वर्ष व अधिकतम दो वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। अनुज्ञा अवधि समाप्ति के पश्चात् नवीनीकरण की दरें मूल दरों की 50 प्रतिशत होंगी।

9. उपविधियों के अनुसार,जिला पंचायत से नक्शें की स्वीकृति के बिना निर्माण करने, किसी भूमि पर व्यवसाय करने, स्वीकृत नक्शे से इतर निर्माण करने,अथवा जिला पंचायत भवन उपविधि की किसी धारा या उपधारा का उल्लंघन करने पर अर्थदण्ड के रूप में समझौता शुल्क (Compoundig Fees) रोपित किया जाएगा। समझौता शुल्क (Compoundig Fees) प्रस्तावित भवन अथवा ले–आउट प्लान (तलपट मानचित्र) पर परिस्थिति अनुसार,कुल शुल्क की गणना का कम से कम 20 प्रतिशत से अधिकतम् 50 प्रतिशत होगा। समझौता शुल्क (Compoundig Fees) विभाग में जमा होने के उपरान्त पूर्व में निर्मित भवन के नक्शों की स्वीकृति प्रदान की जा सकती है। समझौते की कार्यवाही अधिनियम की धारा–248 में दी गई व्यवस्था से नियन्त्रित होगी।

10. सूची (1) के अनुसार जनपदों में पूर्णतः प्रमाण पत्र (Completion Certificate) जारी करने की दरें 20.00 रूपये प्रति वर्ग मीटर होंगी। ये दरें सभी तलों के कुल आच्छादित क्षेत्रफल पर लागू होगी।

11. स्थल की साईट से होकर जा रही 132 के0वी0 की लाईन के लिए केरिज–वे छोड़ दिया जाना चाहिये। लो एवं माध्यम वोल्टेज विद्युत लाइन तथा सर्विस लाइन से निर्माण की न्यूनतम उर्ध्वाधर एवं क्षैतिज दूरी क्रमशः 2.50 मीटर एवं 1.20 मीटर व हाई वोल्टेज लाइन 33000 किलोवाट तक विद्युत लाइन से निर्माण की न्यूनतम उर्ध्वाधर एवं क्षैतिज दूरी क्रमशः 3.70 मीटर एवं 2.00 मीटर होगी।

12. निर्माण करते समय सड़क सर्विस लेन अथवा सरकारी भूमि पर कोई निर्माण सामग्री नहीं रखी जायेगी और गन्दे पानी की निकासी का पूर्ण प्रबन्ध आवेदक को स्वयं को कराना होगा।

13. उपरोक्त भवन में उत्तर प्रदेश अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा अधिनियम (6)2005 एवं राष्ट्रीय भवन संहिता (National Building Code) 2005 भाग–4 के अनुसार आवश्यकतानुसार प्रावधान किया जाएगा जैसे स्वचालित स्प्रिंक्लर पद्धति, फर्स्ट एंड होज रील्स, स्वचालित अग्नि संसूचन और चेतावनी पद्धति, सार्वजनिक संबोधन व्यवस्था, निकास मार्ग के संकेत चिन्ह, फायर मैन स्विच युक्त फायर लिफ्ट, वेट राइजर डाउन कॉर्नर सिस्टम आदि की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करनी होगी।

14. आवेदक को पर्यावरण तथा अन्य शासकीय विभाग/स्थानीय निकाय द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों/निर्देशों का पालन करना होगा।

15. दरवाजे व खिड़कियां इस तरह से लगाई जायेंगी कि जब वह खुले तो उनके भाग किसी सरकारी भूमि या सड़क की ओर बढ़ाव न रखें।

16. पार्कों तथा खुले स्थान में मानकों के अनुसार ऐसे पेड़–पौधों का वृक्षारोपण किया जायेगा जिनको न्यूनतम जल की आवश्यकता हो, जो ग्रीष्म ऋतु में हरे–भरे रह सकें। पार्किंग हेतु आरक्षित स्थल पर किसी भी प्रकार का निर्माण/प्रयोजन अनुमन्य नहीं होगा। यदि किसी स्थल पर पेड़ लगे हुये हैं, और उन्हें काटने की आवश्यकता हैं तो आपको वन विभाग से अनुमति प्राप्त करनी होगी।

17. भवन निर्माण करते समय भूकम्परोधी मानकों का पालन करना होगा।

18. ग्रुप हाउसिंग का वर्षा का पानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट व सीवर एवं नाली के पानी का निस्तारण मानक के अनुसार प्रदूषण रहित करके करेंगे।

19. कार्य स्थल पर कार्य करने वाले लोगों की सुरक्षा की पूर्ण जिम्मेदारी आवेदक की स्वयं की होगी और प्रत्येक कर्मचारी कार्य स्थल पर सुरक्षा किट के साथ ही कार्य करेगा।

20. कोई भी व्यक्ति, कम्पनी, फर्म या संस्था, राजकीय विभाग अथवा ठेकेदार आदि द्वारा प्रस्तावित ले–आउट प्लान जिला पंचायत से स्वीकृत होने के बावजूद अन्य उन सभी विभागों से जिनसे लाईसेंस/

अनापत्ति प्रमाण–पत्र लिया जाना आवश्यक है, अनुमति प्राप्त करने का उत्तरदायित्व आवेदक का स्वयं का होगा।

21. अनुज्ञा–पत्र जारी होने के उपरान्त यदि यह संज्ञान में आये की ले–आउट प्लान की स्वीकृति हेतु आवेदक द्वारा प्रस्तुत अभिलेख फर्जी हैं अथवा गलत विवरण दिया गया है, प्रस्तावित भवन–उपयोग अनुमन्य भू–उपयोग से भिन्न है, प्रस्तावित निर्माण धार्मिक प्रकृति का है और उससे किसी समाज की धार्मिक भावनाएं आहत होती हों तथा प्रस्तावित निर्माण का उपयोग लोगों की भावनाएं भडकाने का स्रोत Source Of Annoyance अथवा आस–पास रहने वालों के स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव डालता हो तो जिला पंचायत द्वारा दी गयी ले–आउट प्लान की स्वीकृति निरस्त की जा सकती है, किया गया निर्माण ध्वस्त किया जा सकता है अथवा सील (seal) किया जा सकता है तथा निर्माण किया गया कार्य बिना शुल्क / फीस के माना जायेगा तथा आवेदक की कीमत पर तुडवाया जा सकता है।

22. स्थल पर बोरिंग करने से पूर्व भू–गर्भ जल संसाधन विभाग से जल–संशोधन का पंजीकरण कराना होगा।

23. आवेदक / संस्था के क्रिया–कलाप किसी सक्षम स्तर / मा0 न्यायालय द्वारा प्रतिबन्धित होने पर तदनुसार पालन करना होगा।

24. पर्यावरण / प्रदूषण / वर्ड सेन्चयूरी आदि के नवीनतम आदेशों का पालन करना होगा।

25. किसी भी प्रकार के ऋण / लोन / बंधक भूमि हेतु आवेदक स्वयं उत्तरदायीं होगा।

26. उक्त संदर्भित निर्माण स्थल पर आवेदक को आवश्यक्तानुसार वृक्षारोपण / पौधारोपण किया जाना अनिवार्य होगा।

27. आवेदक / फर्म / कम्पनी / ट्रस्ट द्वारा किसी भी अन्य विभाग के नियमों / आदेशों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।

28. जिला पंचायत, आगरा के ग्रामीण क्षेत्रों में नगर निगम,नगर पालिका परिषद,नगर पंचायत, छावनी परिषद एंव नोटिफाईड–एरिया की सीमा से बाहर तथा आवास विकास द्वारा अधिगृहित / अधिसूचित ग्रामों,आगरा विकास प्राधिकरण के अधिसूचित विकास क्षेत्रों के ग्रामों, यीडा / लीडा / यू0पी0सीडा के अधिसूचित ग्रामों को छोड़कर ही भवन निर्माण की स्वीकृति दे सकती है। अतः यदि उक्त भवन जिला पंचायत के अलावा किसी अन्य क्षेत्र में आता है तो स्वीकृत ले–आउट प्लान स्वतः ही निरस्त माना जायेगा।

29. ले–आउट प्लान की स्वीकृति की परिधि में यदि संबंधित ग्राम में चकबंदी हो रही है तो अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु आवेदक स्वयं उत्तरदायी है।

30. ले–आउट प्लान की स्वीकृति ओवदक द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों की छायाप्रतियों एवं उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर प्रदान की जा रही हैं। स्वीकृति परियोजना परिधि में किसी भी प्रकार की सरकारी भूमि / पट्टा भूमि / ग्रामसमाज / नाली / चकरोड़ / बंजर / तालाब / चारागाह / सम्पर्कमार्ग / वनआरक्षित / आरक्षित / अधिसूचित / अधिग्रहीत भूमि या कूंट रचित अभिलेख / असत्य सूचना पाई जाती है अथवा किसी भी मा0 न्यायालय में योजित वाद ले–आउट प्लान की स्वीकृति के पश्चात् पाया जायेगा तो ले–आउट प्लान की स्वीकृति स्वतः ही निरस्त हो जायेगी।

31. मैं0 उत्तम वेन्चर्स प्राईवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड पता–पी0नं0–133 शॉप नं0–02 व 03 द्वितीय तल फ्रेन्डस शॉप हरीपर्वत क्रासिंग, आगरा द्वारा अधिकृत निदेशक श्री संजीव कुमार सिंह पुत्र श्री उत्तम सिंह निवासी–74 कालिंदी पुरम मऊ रोड़,आगरा 282005 ने खाता संख्या–1043 गाटा संख्या 2402 / रकवा 10096.40 वर्गमीटर में से 10030.40 वर्गमीटर पता मौजा रायभा तहसील किरावली,आगरा पर स्थित मैं0 उत्तम वेन्चर्स प्राईवेट लिमिटेड द्वारा संचालित "सुमन एन्क्लेव" का ले–आउट प्लान कार्यालय जिला पंचायत,आगरा से स्वीकृत कराये जाने के सम्बन्ध में बिन्दु संख्या–01 से बिन्दु संख्या–24 तक अंकित अपना शपथ पत्र व मैं0 उत्तम वेन्चर्स प्राईवेट लिमिटेड के निदेशकगणों का बिन्दु संख्या–01 से बिन्दु 06 तक अंकित शपथ पत्र अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत,आगरा के समक्ष दिनांक 16 / 12 / 2024 को नोटरी कराकर कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है। जो कि पत्रावली में रक्षित है।

32. मैं0 उत्तम वेन्चर्स प्राईवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड पता–पी0नं0–133 शॉप नं0–02 व 03 द्वितीय तल फ्रेन्डस शॉप हरीपर्वत क्रासिंग, आगरा द्वारा अधिकृत निदेशक श्री संजीव कुमार सिंह पुत्र श्री उत्तम सिंह निवासी–74 कालिंदी पुरम मऊ रोड़, आगरा 282005 के द्वारा खाता संख्या–1043 गाटा संख्या 2402 / रकवा 10096.40वर्गमीटर में से 10030.40वर्गमीटर पता–मौजा रायभा तहसील किरावली,आगरा पर स्थित मैं0 उत्तम वेन्चर्स प्राईवेट लिमिटेड द्वारा संचालित "सुमन एन्क्लेव" के ले–आउट प्लान का 01 प्रतिशत

लेवर सेस जमा करने के सम्बन्ध में श्रम विभाग कार्यालय से डी0रजिस्ट्रेशन संख्या–डी016007975 दिनांक–19.09.2024 का कराया गया है। जिसके सम्बन्ध में आवेदक ने 01 प्रतिशत लेवर सेस की आंशिक धनराशि रू0 20000.00 का डी0डी0 संख्या–624320 दिनांक 25.09.2024 को बैंक आफ बडौदा शाखा–अरतौनी,आगरा से बनवाकर श्रम विभाग कार्यालय में जमा कर दिया गया है। वास्तुविद्कार द्वारा प्रस्तुत प्राक्कलन के अनुसार श्रम विभाग में 01 प्रतिशत लेवर सेस की अवशेष धनराशि को समय से जमा करने की समस्त जिम्मेदारी आवेदक श्री संजीव कुमार सिंह की स्वयं की होगी। श्रम विभाग की 1 प्रतिशत की लेवर सेस की अवशेष धनराशि से जिला पंचायत आगरा का कोई भी सरोकार नही होगा।

33. मैं0 उत्तम वेन्चर्स प्राईवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड पता–पी0नं0–133 शॉप नं0–02 व 03 द्वितीय तल फ्रेन्डस शॉप हरीपर्वत क्रासिंग,आगरा के मेमोरेन्डम में निदेशक 1.श्रीमती सारिका सिंह पत्नी श्री संजीव कुमार सिंह निवासी–74 कालिंदी पुरम मऊ रोड़, आगरा 282005 2.निदेशक श्री उत्तम सिंह पुत्र स्व0 श्री छत्तर सिंह नि0 74 कालिंदी पुरम मऊ रोड़, आगरा 282005 3.निदेशक श्री सुबोध कुमार पुत्र श्री उत्तम सिंह नि0–74 कालिंदी पुरम मऊ रोड़,आगरा 282005 4.निदेशक श्री धीरज सिंह पुत्र श्री उत्तम सिंह नि0–74 कालिंदी पुरम मऊ रोड़,आगरा 282005 5. निदेशक श्री संजीव कुमार सिंह पुत्र श्री उत्तम सिंह निवासी 74 कालिंदी पुरम मऊ रोड़, आगरा 282005 है के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि भविष्य में यदि मैं0 उत्तम वेन्चर्स प्राईवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड पता–पी0नं0–133 शॉप नं0–02 व 03 द्वितीय तल फ्रेन्डस शॉप हरीपर्वत क्रासिंग,आगरा को लेकर आपस में कोई भी वाद–विवाद उत्पन्न होता है, तो उसकी समस्त जिम्मेदारी पार्टनर निदेशक श्री संजीव कुमार सिंह की स्वयं की होगी। जिससे जिला पंचायत आगरा का कोई भी सरोकार नही होगा।

34. खाता संख्या–1043 गाटा संख्या 2402 पता–मौजा रायभा तहसील किरावली, आगरा पर स्थित मैं0 उत्तम वेन्चर्स प्राईवेट लिमिटेड द्वारा संचालित "सुमन एन्क्लेव" के ले–आउट प्लान के सम्बन्ध में यू0पी0 रैरा में रजिस्ट्रेशन कराकर प्रमाण पत्र कार्यालय जिला पंचायत, आगरा में उपलब्ध कराया जाना आवश्यक/अपरिहार्य होगा। जिसकी समस्त जिम्मेदारी शपथकर्ता की स्वयं की होगी।

35. इस अनुज्ञा पत्र की क्रम संख्या 01 से 35 तक अंकित शर्तों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

## दण्ड

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एंव जिला पंचायत अधिनियम–1961 की धारा 240 के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत,आगरा यह निर्देश देती है कि जो व्यक्ति/आवेदक/फर्म/कम्पनी/ट्रस्ट इन उपविधियों का उल्लंघन करेगा, वह अर्थ–दण्ड से दण्डनीय होगा। जो अंकन 1000.00 रूपये तक होगा,जो प्रथम दोष सिद्ध होने के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके बारे में यह सिद्ध हो जाये कि अपराधी अपराध करता रहा है, रूपये 50.00 प्रतिदिन हो सकेगा, अथवा अर्थ–दण्ड का भुगतान न किया जाये तो कारावास से दण्डित किया जायेगा, जो कि तीन माह तक हो सकेगा।

**(देवेन्द्र सिंह)**
अभियन्ता,
जिला पंचायत,आगरा।

**(उमेश चन्द्र)**
अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, आगरा।

**कार्यालय जिला पंचायत, आगरा।**

पत्रांक :3987/अनुभाग–02(2602)/मानचित्र/2024–25 दिनांक–: 31/12/2024

प्रतिलिपि : **निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।**

1. सहायक श्रम आयुक्त, आगरा।
2. मैं0 उत्तम वेन्चर्स प्राईवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड पता–पी0नं0–133 शॉप नं0–02 व 03 द्वितीय तल फ्रेन्डस शॉप हरीपर्वत क्रासिंग,आगरा द्वारा अधिकृत निदेशक श्री संजीव कुमार सिंह पुत्र श्री उत्तम सिंह निवासी–74 कालिंदी पुरम मऊ रोड़,आगरा 282005 को परिपालनार्थ।

अभियन्ता,
जिला पंचायत,आगरा।
अभियन्ता
जिला पंचायत, आगरा

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, आगरा।
अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, आगरा

प्रेषक,

अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत, आगरा।

सेवा में,

श्री संजीव कुमार सिंह (निदेशक),
मैं0 उत्तम बैन्चर्स प्राईवेट लिमिटेड,
पुत्र श्री उत्तम सिंह
निवासी–74 कालिंदी पुरम मऊ रोड़ आगरा।

संख्या– 208 / जि0पं0आ0 / वर्ष 2025–26 दिनांक–17 / 04 / 2025

विषय– विभाग द्वारा अनुमोदित किये गए नक्शे की वैद्यता के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में अपने पत्र दिनांक 07.04.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसमें आपके द्वारा मैं0 उत्तम वैन्चर्स प्राईवेट लिमिटेड द्वारा संचालित सुमन एन्कलेव के नाम से आवासीय कॉलौनी का निर्माण कराया जाना है। जिसका नक्शा आपके विभाग से अनुमोदित कराया गया है। हमने इस कॉलौनी के अनुमोदन हेतु रैरा में आवेदन किया गया है। जिसमें रैरा द्वारा नक्शें की वैधता के सम्बन्ध में प्रश्न किया गया है। आपसे अनुरोध है कि विभाग द्वारा पास किये गऐ सुमन एन्कलेव के ले–आउट प्लान की वैद्यता के सम्बन्ध में स्पष्टता प्रदान करना चाहा गया है, के सम्बन्ध में है।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है, कि संख्या–526 / इक्कीस–1(1) / वि0सहा0 / 2019–20–उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (यथासंशोधित) की धारा–239 (1) एवं 239(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये जिला पंचायत, आगरा ने जिला–आगरा के ग्रामीण क्षेत्र में बनने वाले व्यवसायिक भवनों के निर्माण कार्य को नियंत्रित करने विषयक उपविधियाँ में अंकित सामान्य अनुदेश(ण) के बिन्दु संख्या–08 में व्यवस्था है कि उपविधियों के अधीन जारी अनुज्ञा, जारी होने के दिनांक से 03 वर्ष की अवधि के लिए ले–आउट प्लान / मानचित्र वैध एवं मान्य होगा।

भवदीय,

(उमेश चन्द्र)
अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत आगरा।

संख्या एवं दिनांक–उपरोक्तानुसार
प्रतिलिपि–निम्न को सूचनार्थ प्रेषित।

1. अभियन्ता, जिला पंचायत,आगरा।

अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत आगरा।